न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 155/2021

1. अशोक कुमार पुत्र श्रीमति शान्ति पत्नी पोलाराम जाति जाट निवासी फतुई त. व जिला श्री गंगानगर हाल चक 17 के.वाई.डी. त. खाजूवाला।

...........प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमति शान्ति पत्नी पोलाराम जाति जाट निवासी फतुई त. व जिला श्री गंगानगर हाल चक 17 के.वाई.डी. त. खाजूवाला।

3. राजस्थान सरकार जरिए राजस्व तहसीलदार, खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रशासन गावों के संग अभियान के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार उपस्थित हुआ और उसने बयान किया कि उसका वादी अशोक कुमार के साथ राजीनामा हो गया है, इसलिए पत्रावली पेशी पर ली गई।

वादी और प्रतिवादी संख्या 1 ने बयान किया कि वह निम्न तरीके से जमीन का बँटवारा करना चाहते है—

1.राजेन्द्र कुमार पुत्र शांति (पत्नि पोलाराम) जाति जाट ,चक 16 के.वाई.डी. के मुरब्बा नम्बर 136/06 के किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 कुल 2.78 हैक्टेयर कमाण्ड।

2.अशोक कुमार पुत्र शांति (पत्नि पोलाराम) जाति जाट चक 17 के.वाई.डी. (ए) के मुरब्बा नम्बर 136/07 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 15 सालम कुल 2.78 हैक्टेयर कमाण्ड।

अदालत द्वारा वर्तमान जमाबन्दी और पटवार हल्का 17 के.वाई.डी. के इंतकाल संख्या 327 360 का अवलोकन किया गया।

अदालत का मानना है कि उक्त राजीनामे के मुताबिक खाता तकसीम किया जाना जायज है क्योंकि इससे दोनों काश्तकारों की जमीन कोनसोलिडेट हो रही है, इसलिए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त खाता विभाजन मंजूर किया जाता हैं।

तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि अगर विवादित आराजी के सिलसिले में कोई स्थगन में कोई स्थगन /प्रकरण जैरकार न हो तो राजस्व रिकार्ड में उक्त राजीनामें के मुताबिक अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:14:58 IST
Reason: SelfAttested